



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2017 / 00185

दर्ज तिथि:-11.09.2017

1. पूनमाराम पुत्र फगलूराम
जाति विश्नोई निवासी शेरानियों की ढाणी (मौखावा) तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....वादी

बनाम

1. भीमाराम पुत्र हरसुखाराम
2. प्रेमराम पुत्र हरसुखाराम
3. प्रतापाराम के कायम मुकाम
3/1 बाबूलाल पुत्र प्रतापाराम
3/2 लालूराम पुत्र प्रतापाराम
3/3 धोंकलाराम पुत्र प्रतापाराम
3/4 कालूराम पुत्र प्रतापाराम
3/5 वीरोदेवी पत्नी प्रतापाराम
4. सुरजनराम पुत्र फगलूराम
5. विरधाराम पुत्र फगलूराम
6. ईसराराम पुत्र फगलूराम
7. तुलछाराम पुत्र फगलूराम
8. भारमलराम पुत्र फगलूराम
जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी
.....असल प्रतिवादी
9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी
10. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।
.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री गंगाराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-04.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 366 रकबा 54-03 बीघा, 366 / 2 रकबा 03-12 बीघा, 369 रकबा 0-06 बीघा, 372 रकबा 32-07 बीघा मौजा मौखावा एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 167-02 बीघा मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के अतिरिक्त शेष समस्त प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा बाद विधिवत तामिल असालतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर मौके पर वहामी बंटवारा अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया।
3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये:-
 1. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।
.....जिम्मे वादी
 2. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
.....जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी 01 एवं 02

4. अन्य दादरसी।

.....उभयपक्षकारान

4. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 21.10.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1823 दिनांक 06.08.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उक्त मौका रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब की गई। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1222 दिनांक 22.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1222 दिनांक 22.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 04.07.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1707-1719 दिनांक 23.06.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 04.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1707-1719 दिनांक 23.06.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 04.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071-2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल

प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 366 रकबा 54-03 बीघा, 366/2 रकबा 03-12 बीघा, 369 रकबा 0-06 बीघा, 372 रकबा 32-07 बीघा मौजा मौखावा एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 167-02 बीघा मौजा मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रैजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।

2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।
9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 366 रकबा 54-03 बीघा, 366/2 रकबा 03-12 बीघा, 369 रकबा 0-06 बीघा, 372 रकबा 32-07 बीघा मौजा मौखावा एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 167-02 बीघा मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम

करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पुनमा पुत्र फगलू हि0 पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन- हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना, राज0	मौखावा	322	1.9321	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.9321 है0				
पेमाराम पुत्र हरसुखाराम हि0 पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	मौखावा	322	6.7623	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.7623 है0				
भीयाराम पुत्र हरसुखाराम हि0 पूर्ण जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	मौखावा	322	6.7623	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.7623 है0				
कालूराम पुत्र प्रतापाराम हि0 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार किशनाराम पुत्र ईशराराम हि0 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार तुलछा पुत्र फगलु हि0 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार धुंकलाराम पुत्र प्रतापाराम हि0 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार पालूदेवी पत्नी ईशराराम हि0 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार भारमल पुत्र फगलु हि0 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार मोहनलाल पुत्र ईशराराम हि0 1610 / 28981 लालूराम पुत्र प्रतापाराम हि0 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार विरधा पुत्र फगलु हि0 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार सुरजन पुत्र फगलु हि0 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	मौखावा	322	11.5924	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 11.5924 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2017 / 00185

दर्ज तिथि:-11.09.2017

1. पूनमाराम पुत्र फगलूराम
जाति विश्नोई निवासी शेरानियों की ढाणी (मौखावा) तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....वादी

बनाम

1. भीमाराम पुत्र हरसुखाराम
2. प्रेमराम पुत्र हरसुखाराम
3. प्रतापाराम के कायम मुकाम
3/1 बाबूलाल पुत्र प्रतापाराम
3/2 लालूराम पुत्र प्रतापाराम
3/3 धोंकलाराम पुत्र प्रतापाराम
3/4 कालूराम पुत्र प्रतापाराम
3/5 वीरोदेवी पत्नी प्रतापाराम
4. सुरजनराम पुत्र फगलूराम
5. विरधाराम पुत्र फगलूराम
6. ईसराराम पुत्र फगलूराम
7. तुलछाराम पुत्र फगलूराम
8. भारमलराम पुत्र फगलूराम
जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी
.....असल प्रतिवादी
9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुडामालानी
10. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।
.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री गंगाराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री डालूराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 366 रकबा 54-03 बीघा, 366/2 रकबा 03-12 बीघा, 369 रकबा 0-06 बीघा, 372 रकबा 32-07 बीघा मौजा मौखावा एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 167-02 बीघा मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पुनमा पुत्र फगलू हि० पूर्ण जाति विश्नोई सा० देह खातेदार रहन- हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना, राज०	मौखावा	322	1.9321	बा०दो०
कुल किता 01 रकबा 1.9321 है०				
पेमाराम पुत्र हरसुखाराम हि० पूर्ण जाति विश्नोई सा० देह खातेदार	मौखावा	322	6.7623	बा०दो०
कुल किता 01 रकबा 6.7623 है०				
भीयाराम पुत्र हरसुखाराम हि० पूर्ण जाति विश्नोई सा० देह खातेदार	मौखावा	322	6.7623	बा०दो०
कुल किता 01 रकबा 6.7623 है०				
कालूराम पुत्र प्रतापाराम हि० 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार किशनाराम पुत्र ईशराराम हि० 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार तुलछा पुत्र फगलु हि० 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार धुंकलाराम पुत्र प्रतापाराम हि० 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार पालूदेवी पत्नी ईशराराम हि० 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार भारमल पुत्र फगलु हि० 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार मोहनलाल पुत्र ईशराराम हि० 1610 / 28981 लालूराम पुत्र प्रतापाराम हि० 1610 / 28981 जाति विश्नोई सा० देह खातेदार	मौखावा	322	11.5924	बा०दो०

विस्था पुत्र फगलु हि0 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार				
सुरजन पुत्र फगलु हि0 19321 / 115924 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 11.5924 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

